

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0/ /21, लखनऊ:दिनांक: 30, अप्रैल-2021,

-आदेश-

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, आगरा ने अपने पत्र संख्या-155/2021 दिनांक 30.04.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक ने होने के कारण व कोरोना संक्रमण के दुष्प्रभाव को देखते हुए दिनांक 03.05.2021 से दिनांक 06.05.2021 के लिये झांसी में गठित युगल पीठ को स्थगित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सदस्य पीठ-आगरा द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 30.04.2021 में उल्लिखित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में झांसी गठित युगल पीठ दिनांक 03.05.2021 से दिनांक 06.05.2021 तक निरस्त की जाती है।

तदनुसार सम्बन्धित को अवगत कराया जाये।

ह0/30.04.2021

(महताब अहमद)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:- वा0क0अधि0/यु0पी0/ 852 /2021, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, आगरा व झांसी।
2. मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक/विवरण/कम्प्यूटर/मुख्यालय।

माननीय अध्यक्ष, महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

